न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 70/प्रा0पत्र/2020

1. दिनेश कुमार गौतम आयु 47 वर्ष आ0 श्री बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी बडोदिया, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

3. .राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – महेश नामा

अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 26/10/2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 149 खसरा संख्या 1710 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 1711 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1715 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1722 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा व खाता संख्या 150 खसरा संख्या 1716 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सथूर पटवार हल्का सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम रामनारायण दर्ज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्व है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम बृजमोहन है। प्रार्थी के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस दस्तावेज आदि में प्रार्थी के पिता का नाम बृजमोहन ही दर्ज है लेकिन जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम रामनारायण दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से खाता संख्या 149 व 150 में प्रार्थी के नाम नामान्तरण खोला गया है जिसमें प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पिता रामनारायण दर्ज कर दिया है। उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्व है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार गौतम आ0 बृजमोहन है। प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजांत में प्रार्थी दिनेश कुमार गौतम अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है। प्रार्थी ने पटवारी

का से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज दिनेश कुमार आ0 रामनारायण के अंकन को विलोपित कर दिनेश कुमार गौतम पिता बृजमोहन शर्मा दर्ज करने अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प बडोदिया में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प तहसील कार्यालय में लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 20.11.2019 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थत होने व लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी खाता संख्या 149 खसरा संख्या 1710 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 1711 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1715 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1722 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा व खाता संख्या 150 खसरा संख्या 1716 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सथूर पटवार हल्का सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में दर्ज मुस्मात दिनेश कुमार पिता रामनारायण के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर दिनेश कुमार गौतम आ0 श्री बृजमोहन शर्मा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 संलग्न जमाबंदी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 वादी संलग्न दस्तावेज से स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 लगायत 5 वादी स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 6 व 7 कानूनी प्रकिया के बिन्दु है जवाब की आवश्यकता नही है। यह है कि वाद पत्र के संलग्न दस्तावेज के अनुसार खाता संख्या 149, 150 ग्राम सथूर में दर्ज भूमियों में वादी दिनेश कुमार पि0 मु0 रामनारायण कोम ब्राहम्ण दर्ज है। वादी के पैनकार्ड, आधार कार्ड, गाडी के कागजात ड्राईविंग लाईसेन्स, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, एसबीआई बैक की पासबुक में वादी के पिता का नाम बृजमोहन शर्मा दर्ज है। वादी अपने पिता का नाम मु0 रामनारायण के बजाय बृजमोहन अपनी खातेदारी भूमि में दर्ज करवाना चाहता है। यह माननीय न्यायालय को विचारणीय व अवलोकनीय बिन्दु है। अतः जवाब लिखा जाकर सेवा में सादर प्रेषित है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम रामनारायण दर्ज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्व है जबकि प्रार्थी समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम बृजमोहन दर्ज है। पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी ऋण प्राप्त करने व

रकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है। अतः प्रार्थी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज मुस्मात दिनेश कुमार पिता रामनारायण के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर दिनेश कुमार गौतम आ0 बृजमोहन शर्मा दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम सथूर खसरा सख्या 1716 में प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है व प्रार्थी के साथ अन्य खातेदार भी है जिनकों प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने पर भी प्रार्थी या अप्रार्थी के रूप में संयोजित नही किया गया है ना ही देवबाई बैवा गंगाराम को भी पक्षकार नही बनाया गया है जबकि प्रार्थी रामनारायण के नाम को विलोपित करवाकर पिता का नाम अन्य दर्ज करवाना चाहता है जबकि मां देवबाई के साथ दर्ज रामनारायण के अंकन को विलोपित करवाने बाबत कोई प्रार्थना नही की गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली